

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
(लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा)

सूचना

सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से यथानिर्धारित व्यवसायिक वाहनों में गति नियंत्रण उपकरण (SLD) के अधिष्ठापन की सुनिश्चितता के निमित्त Superme Court Committee on Road Safety से प्राप्त निदेशों के अनुपालनार्थ SLD निर्मात्ता कंपनियों को झारखण्ड राज्य के VAHAN-4 पोर्टल से इंटीग्रेट करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

2. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों से सूचीबद्ध वैध एवं अद्यतन कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन (CoP) धारी गति नियंत्रक निर्मात्ता (Original Equipment Manufacturer) लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखण्ड में उक्त हेतु प्रस्ताव समर्पित कर सकते हैं।

ह०/-

संयुक्त परिवहन आयुक्त
(सड़क सुरक्षा),
लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा,
परिवहन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक:- SLD-24/2022-स०सु०.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उपर्युक्त सूचना सामग्री सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाये।

ह०/-

संयुक्त परिवहन आयुक्त
(सड़क सुरक्षा),
लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा,
परिवहन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक:- SLD-24/2022-स०सु०.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त परिवहन आयुक्त
(सड़क सुरक्षा),
लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा,
परिवहन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक:- SLD-24/2022-स०सु०.....81

दिनांक-23/02/2023

प्रतिलिपि:- PMU, परिवहन विभाग, झारखण्ड/SRSMU, लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त परिवहन आयुक्त
(सड़क सुरक्षा),
लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा,
परिवहन विभाग, झारखण्ड।